# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**अपील संख्या : 2019 / 00086**

रामकरण आत्मज श्री धन्ना लाल जाति मीणा निवासी कूण्डालिया तहसील व जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर महोदय बून्दी ।
2. तहसीलदार साहब बून्दी ।
3. जिला वन अधिकारी वन विभाग बूंन्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री रणवीर सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय**

दिनांकः 27.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 08.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम झरबालापुर तहसलील बून्दी में खसरा नम्बर 203 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि दिनांक 04.11.1977 को आवंटन परामर्शदात्री समिति की सलाह पर आवंटन अधिकारी द्वारा वादी के पिता के बडे भाई श्री मोती आत्मज श्री कालू जाति मीणा निवासी कुण्डालिया को आवंटित की गई थी । वादी का परिवार भूमिहीन काश्तकार था इसलिए उक्त भूमि उन्हें आवंटित कर कब्जा दे दिया था । मोती आत्मज श्री कालू का निधन हो चुका है और वादी उनका वैध उत्तराधिकारी होने के कारण इस भूमि को अपने कब्जे काश्त में रख कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । वादी ने उक्त भूमि का आरक्षित मूल्य व ब्याज भी जमा करवा दिया और वादी उक्त भूमि का लगान भी सरकार को अदा करता आ रहा है । प्रतिवादी कम 03 ने आवंटन के बाद खसरा नम्बर 203 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा का नामान्तरकरण दिनांक 04.11.77 को ही वादी के दादा के नाम खोल दिया और उन्हें गैर खातेदारी अधिकार दे दिये थे । प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी में से 07 बीघा

भूमि वादी के गैर खातेदारी अधिकारों में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी और शेष 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि बिना किसी कारण व आधार के वादी या आवंटी को सूचना दिये बिना वन विभाग के नाम संवत् 2055 में कर दी जबकि वादी समस्त भूमि रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार हो चुका है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 203 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावे कि वे राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी क्रम 03 वन विभाग का नाम विलोपित कर वादी का नाम दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के अधिकार एवं आधिपत्य की उक्त भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं अतिक्रमण नहीं करें ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2019 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी दिनांक 04.11.1977 को आवंटन परामर्शदात्री समिति की सलाह पर आवंटन अधिकारी द्वारा वादी के पिता के बडे भाई श्री मोती आत्मज श्री कालू जाति मीणा को आवंटित की गई थी । तत्समय यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज थी । आवंटन के बाद उक्त भूमि पर गैर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे । उक्त भूमि में से बिना किसी आधार एवं कारण के अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि वन विभाग के खाते में दर्ज कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी आवंटन परामर्शदात्री समिति की सलाह पर वादी के पिता के बडे भाई को आवंटित की गई थी । सन् 1977 में यह आराजी सिवायचक दर्ज थी । वादी का परिवार भूमिहीन था । आवंटन के उपरान्त कब्जा भी दिया गया । मोती का निधन हो चुका है उनके वादी उत्तराधिकारी होने के नाते इस आराजी पर काबिज काश्त हैं । आराजी का आरक्षित मूल्य और ब्याज भी जमा करवा दिया गया है । वादी को खातेदार दर्ज नहीं किया गया और 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 07 बीघा आराजी वादी के गैर खातेदारी में दर्ज की गई शेष 08 बीघा 10 बिस्वा आराजी को बिना किसी आधार के वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया । वादी ने हक घोषणा का दावा पेश किया जिसको त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया गया है । वादी ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपने दावे को सिद्ध किया है

फिर भी दावा खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 08.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी को आवंटन सन् 1977 में हुआ था उससे पूर्व ही सन् 1968 की अधिसूचना से वादग्रस्त आराजी वन विभाग को आवंटित हो चुकी थी । अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने से त्रुटिपूर्ण रूप से आवंटन किया गया था जिसको बाद में दुरूस्त किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी ने वादग्रस्त आराजी जो कि वन विभाग के खाते में दर्ज थी के बाबत् हक घोषणा का दावा पेश किया है । दावे के समर्थन में वादी के द्वारा आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 1, पर्चा खतौनी चम्बल उपनिवेशन विभाग प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 प्रदर्श–3 जिसके अनुसार 07 बीघा आराजी मोती के गैर खातेदारी में दर्ज है, नकल दखलनामा प्रदर्श–4, असल चालान पेश किये हैं ।

11. प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजात में इंतकाल संख्या 25 प्रदर्श– ए–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– ए–2, नकल जमाबन्दी प्रदर्श–ए–3, ए–4, ए–5, ए–6 एवं ए–7 पेश किये गये हैं ।

12. वादी के द्वारा बयानों में रामकरण पीडब्ल्यू–1, गणपत लाल पीडब्ल्यू–2, गेंदी लाल पीडब्ल्यू–3 एवं केसरी लाल पीडब्ल्यू– 4 कराये गये हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से बयान बिम्बाधर शर्मा एवं रामप्रकाश कराये गये हैं ।

14. वादी को आंवटित आराजी में से 07 बीघा भूमि उनके गैर खातेदारी में दर्ज है और पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 25 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 203 की 08 बीघा 10 बिस्वा आराजी वन विभाग के खाते में दर्ज कर दी गई है । ऐसी स्थिति में जो वन विभाग के खाते में दर्ज है उसके बाबत् वादी के पक्ष में हक घोषणा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2019 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/10/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

# अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

## राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या : 2019 / 00086**

रामकरण आत्मज श्री धन्ना लाल जाति मीणा निवासी कूण्डालिया तहसील व जिला बून्दी ।

**––अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर महोदय बून्दी ।
2. तहसीलदार साहब बून्दी ।
3. जिला वन अधिकारी वन विभाग बून्दी ।

**––प्रत्यर्थी**

**बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।**

वाद संख्याः 53 / दावा / 2018

रामकरण आत्मज श्री धन्ना लाल जाति मीणा निवासी कूण्डालिया तहसील व जिला बून्दी ।

––वादी

### बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर महोदय बून्दी ।
2. तहसीलदार साहब बून्दी ।
3. जिला वन अधिकारी वन विभाग बून्दी ।

——प्रतिवादी

## अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, **बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है,** अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 27.10.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रणवीर सिंह एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 27.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

27/10/20

(भागवंती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा